संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल–5/2013/783-I   भोपाल, दिनांक 18/09/2013

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– टीकमगढ़, म.प्र. ।

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण–श्रीमती शकुन्तला मिश्रा पत्नी स्व.श्री योगेश मिश्रा (पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीनगर जिला भोपाल) ।

सन्दर्भः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल का पत्र क./स्था./2013/1046 भोपाल, दिनांक 18.01.2013 ।

==00==

सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती शकुन्तला मिश्रा पत्नी स्व.श्री योगेश मिश्रा का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, तृतीय श्रेणी के सामान्य वर्ग में पद रिक्त नहीं होने के कारण संचालनालय में प्रेषित किया गया है । आवेदिका ने शैक्षणिक योग्यता अनुसार लेब सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रस्तुत की है ।

आपके द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार आपके अधीन समान्य वर्ग में लेब सहायक का 01 पद रिक्त है ।

प्रकरण संलग्न मूल सहपत्रों सहित म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3–4/1/3/06 दिनांक 18.08.2008 की कण्डिका 9.6 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण/पूर्ती कर नियामानुसार अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"
संलग्नः– सहपत्र ।

17/9/13

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल–5/2013/   भोपाल दिनांक /09/2013

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला –भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. श्रीमती शकुन्तला मिश्रा पत्नी स्व.श्री योगेश मिश्रा, ग्राम बछोड़ा पोस्ट– सिस्टोन तह.पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़, म.प्र. ।

अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

C:\Users\win\Desktop\ ...

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.अवि/सैल-5/2013/ भोपाल,दिनांक /09/2013

प्रति,

कलेक्टर
जिला पन्ना म.प्र. ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण -श्री आदित्य नायक पुत्र स्व.श्री हरिराम नायक (एन.एम.ए) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ जिला पन्ना म.प्र. ।

संदर्भ :-कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना के पत्र क्रमांक स्था 22012 /5411-12 दिनांक 29 मई 2012 ।

—00—

सदर्भित पत्र के द्वारा श्री आदित्य नायक पुत्र स्व.श्री हरिराम नायक (एन.एम.ए) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ जिला पन्ना का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण प्राप्त हुआ है जो कि मूलतः सलंग्न है ।

श्री आदित्य नायक द्वारा आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्यूनिकेशन) का उल्लेख करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण म.प्र. जबलपुर के अधीन वर्कशाप असिस्टेंट/ट्रेनिंग ऑफीसर के पद पर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में चाही है। (आवेदनपत्र सलंग्न है),

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश के अधीन इनकी योग्यता अनुरूप पद स्वीकृत नही है एवं विभाग मे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत सहायक वर्ग 03 के पद रिक्त नही है एवं इसके अतिरिक्त अनुकम्पा नियुक्ति वरिष्ठता सूची में श्री नायक का नाम 16 वें कम पर है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 18.08.2008 की कडिका 9.8 के अन्तर्गत यदि विभाग के किसी भी विभागाध्यक्ष या अन्य कार्यालयों में पद खाली न हो एवं दिवंगत परिवार ने पैरा 10.1 अनुसार कोई विकल्प नही दिया हो तो विभाग में पद रिक्त न होने का प्रमाणपत्र देकर प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजा जावेगा जिस जिले में दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु पूर्व पदस्थ था के अनुसार आवेदक का प्रकरण संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग म.प्र. जबलपुर के अधीन वर्कशाप असिस्टेंट /ट्रेनिंग ऑफीसर के पद पर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में नियुक्ति हेतु आपकी ओर मूलतः सलंग्न है ।

स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा अनुमोदित

(हस्ताक्षर)
(शैलबाला मार्टिन)
अपंर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

पृ.क्रमांक स्था.अवि/सैल-5/2013/788-I भोपाल,दिनांक 23/09/2013

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण जबलपुर म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर, म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना, म.प्र.।
4. श्री आदित्य नायक पुत्र स्व.श्री हरिराम नायक (एन.एम.ए) टिकुरिया मोहल्ला सकांच मंदिर सड़क जिला पन्ना म.प्र.।

(हस्ताक्षर) 23/9/13
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल–5/2013/789-I   भोपाल, दिनांक 23/09/2013

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग
रीवा, मध्यप्रदेश ।

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण–श्री अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र स्व.श्रीमती चन्द्रवती भदौरिया (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता– प्रा.स्वा.के.फूप जिला भिण्ड) ।

सन्दर्भ–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड का पत्र क./स्था.अवि./2013/9600 भिण्ड, दिनांक 17.07.2013 ।

--00--

सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्री अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र स्व.श्रीमती चन्द्रवती भदौरिया का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, उनके अधीन तृतीय श्रेणी के सामान्य में पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय में प्रेषित किया गया है । आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पात्रता है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा पत्र एवं ई–मेल के माध्यम से प्रेषित जानकारी अनुसार उनके अधीन सामान्य वर्ग में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–3 के 02 पद रिक्त है ।

प्रकरण संलग्न मूल सहपत्रों सहित म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3–4/1/3/06 दिनांक 18.08.2008 की कण्डिका 9.6 के तहत् आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण/पूर्ती कर नियामानुसार अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यावाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपूर को प्रेषित कर इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्नः– 21 सहपत्र ।

(हस्ताक्षर) 23/9/13

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल–5/2013/   भोपाल दिनांक. /09/2013

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कलेक्टर जिला अनूपपुर म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला –अनूपपुर,म.प्र., नियमानुसार अनकम्पा नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी कर संचालनालय को अवगत करावें ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र. ।
3. श्री अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र स्व.श्रीमती चन्द्रवती भदौरिया ए.एन.एम.. निवासी भदाकुर रोड गायत्री नगर वार्ड क.14 फूप जिला भिण्ड म.प्र. ।

(हस्ताक्षर)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

C:\Users\...\Desktop\...-5.doc

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2013/791-I भोपाल, दिनांक 23/09/2013

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- खण्डवा, म.प्र. ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण-श्री जितेन्द्र वर्मा पुत्र स्व.श्री मोहनलाल वर्मा (वाहन चालक)-अलीराजपुर।

सन्दर्भ:-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर का पत्र क./स्था./2012/1932 अलीराजपुर, दिनांक 11.07.2012 ।

==00==

सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्री जितेन्द्र वर्मा पुत्र स्व.श्री मोहनलाल वर्मा (वाहन चालक) का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, तृतीय श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग में पद रिक्त नहीं होने के कारण संचालनालय में प्रेषित किया गया है । आवेदक ने शैक्षणिक योग्यता अनुसार लेब सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति प्रस्तुत की है ।

आपके द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार आपके अधीन लेब सहायक का 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग में रिक्त है ।

प्रकरण संलग्न मूल सहपत्रों सहित म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र सी/3-4/1/3/06 दिनांक 18.08.2008 की कण्डिका 9.6 के तहत् आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है । अतः प्रकरण में आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण/पूर्ती कर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- सहपत्र ।

23/9/13

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (अविज्ञाप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-5/2013/ भोपाल दिनांक /09/2013

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला -अलीराजपुर, मध्यप्रदेश ।
3. श्री जितेन्द्र वर्मा पुत्र स्व.श्री मोहनलाल वर्मा (वाहन चालक), जिला अस्पताल परिसर अलीराजपुर म.प्र. ।

हस्ताक्षर

अपर संचालक (अविज्ञाप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

[redacted]

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-5/2013/785-I भोपाल, दिनांक 25/09/2013

प्रति,

डॉ.डी.के.भार्गव
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकरी जिला-गुना म.प्र. ।

द्वारा :- संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. ।
विषय :- अनुशासनात्मक कार्यवाही - डॉ.डी.के.भार्गव, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिव जिला गुना म.प्र. के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस ।

--00--

यह कि आप डॉ.डी.के.भार्गव प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना के पर पदस्थ है ।

स्व.श्री राधेश्याम मिश्रा के आश्रित श्रीमति रजना मिश्रा का अनुकम्पा नियुक्ति प्र. का निराकरण किये बिना ही वरिष्ठता सूची में श्रीमति मिश्रा से कनिष्ट श्री जयवीर सिंह रा को अनारक्षित वर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है शासन निर्देशों का उल्लघंन है ।

इस प्रकार आपने शासन नियमों को अनदेखा कर अपने उत्तरदायित्वों के प्रति ग लापरवाही बरती गई । आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं आदेशों अवहेलना करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो शासकीय सेवक के आचरण के अनु नहीं है ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के उपनियम -एक के खण्ड (i),(ii),(iii), के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रैणी में आ है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यो आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाये ।

यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर की आपको अपने पक्ष कुछ नहीं कहना है, एक पक्षिय कार्यवाही का निर्णय लेते हुए प्रकरण का निराकण कर दिया जावेगा

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल- 5/2013/ 795-II भोपाल, दिनांक 25 /09/2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त महोदय स्थानीय कार्यालय ।
2. कलेक्टर जिला गुना, मध्यप्रदेश ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
4. उप संचालक (शिकायत), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल–5/2013/ भोपाल, दिनां /09/ 2013

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– सिवनी मध्यप्रदेश ।

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण– श्रीमती भावना गेडाम पत्नी स्व.दीपक कुमार गेडाम सहायक ग्रेड–3– जिला उमरिया म.प्र ।

सन्दर्भः–कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया का पत्र कमांक/स्था. /13/2256 दिनांक 10.05.2013 ।

===00===

सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती भावना गेडाम पत्नी स्व.दीपक कुमार गेडाम सहायक ग्रेड–3– जिला उमरिया म.प्र का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण प्राप्त हुआ है । (पत्र की प्रति मूलतः सलंग्न है)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के पत्र कमांक 8990 दिनांक 13.08.2013 द्वारा आपके अधीन सहायक ग्रेड–3 का अनुसूचित जाति वर्ग में 01 पद रिक्त होने का उल्लेख किया है ।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.3–4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18.8.2008 की कण्डिका 9.6 के तहत् श्रीमती भावना गेडाम को सहायक ग्रेड –3– के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करते हुए कि गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न–मूल प्रकरण सह पत्र ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल–5/2013/839-I भोपाल दिनांक 27/09/2013

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1- संभागीय सयुंक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग / जबलपुर संभाग म.प्र ।
2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया म.प्र ।
3– श्रीमती भावना गेडाम न्यू डे कालौनी जिला उमरिया म.प्र ।

26/9/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश